



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 5337

सन् 2026

रमेश कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : अंजलि राय, अनुराग तिवारी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-एक्स

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमृत राज उपस्थित हैं।
2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0050 सन् 2026 में अग्रिम ज़मानत के लिए दायर की गई है। यह प्रकरण ज़िला गौतम बुद्ध नगर के जारचा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत दर्ज है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि सह-अभियुक्त खुशबू देवी ने सूचनाकर्ता के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित की थी। जब सूचनाकर्ता खरीदी गई ज़मीन का कब्ज़ा लेने गया, तो उसे पता चला कि उसके पक्ष में बेची गई ज़मीन असल में खुशबू देवी की नहीं,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बल्कि किसी और की थी। यह बताया गया कि आवेदक पर आरोप है कि वह खुशबू देवी के साथ उस गैर-कानूनी लेन-देन में शामिल था। उन्होंने कहा कि आवेदक न तो खरीदार है और न ही खुशबू देवी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख का गवाह है। आवेदक निर्दोष है और उसे गलत इरादे से इस प्रकरण में फंसाया गया है। यह भी बताया गया कि आवेदक को डर है कि पुलिस उसे कभी भी इस प्रकरण में गिरफ्तार कर सकती है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और कहा कि मौजूदा आवेदक के खिलाफ पाँच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। सभी प्रकरणों में आरोप एक ही तरह के हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि मौजूदा आवेदक और अन्य अभियुक्त आदतन अपराधी हैं।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप यह है कि वह भी उस गिरोह का सदस्य था जो ऐसी भूमि के विक्रय विलेख निष्पादित करने में संलिप्त था जो उनकी स्वयं की नहीं थी। उक्त आरोप के अतिरिक्त, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता को साबित करे।

6. अग्रिम ज़मानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है। इसलिए, यह प्रार्थना पत्र **मंजूर** किया जाता है।

7. **आवेदक- रमेश कुमार** को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से 15 दिनों के भीतर इस आदेश की कॉपी के साथ संबंधित जांच अधिकारी/न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों के साथ व्यक्तिगत व्यक्तिगत मुचलका जमा करें। आवेदक को विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) आवेदक प्रकरण में तय तारीख पर संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के सामने पेश होगा और अन्वेषण/विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा तथा यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा कराना होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित सख्त कार्रवाई करने या दी गई जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी। बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

5 जून, 2026

एस के